प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
निर्णय दिनांक 28.02.2020 को सुरक्षित
निर्णय दिनांक 20.03.2020 को घोषित
रिट अपील संख्या 223/2020

(माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 568/2020 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2020 से उद्भूत)

मिकी स्मारक न्यास

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास,

द्वारा न्यासी – सुरेश गुप्ता, पिता– स्व० श्री रामेश्वर गुप्ता, आयु 66 वर्ष,

पेशा: व्यवसाय, निवासी– 46–51, शंकर नगर, दुर्ग, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़

................**अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. **छत्तीसगढ़ राज्य**

   द्वारा– सचिव, लोक न्यास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

2. **उपखंड अधिकारी सह पंजीयक लोक न्यास रायपुर**

   जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

3. **कलेक्टर, रायपुर**

   जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

4. **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर**

   जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

5. **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा**

   द्वारा, थाना प्रभारी, पुलिस थाना– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा, जय जवान पेट्रोल पंप के सामने, छत्तीसगढ़, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

................**उत्तरवादीगण**

अपीलार्थी की ओर से: श्री रवि शर्मा, श्री मोहित मुद्गल एवं श्री गैरी मुखोपाध्याय, अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी/राज्य की ओर से: श्री सतीश चंद्र वर्मा, महाधिवक्ता सहित श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, उप महाधिवक्ता

<u>माननीय श्री पी. आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधिपति</u>

<u>माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश</u>

<u>पूर्व से सुरक्षित निर्णय</u>

पी. आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा:

1– विद्वान एकल न्यायाधीश ने द्वितीय उत्तरवादी द्वारा मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (जिसे इसके पश्चात '1951 के अधिनियम' से संदर्भित किया जाएगा) की धारा 22 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जा रही कार्यवाही को रद्द करने से इंकार करने तथा रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निराकृत करने कि पंजीयक द्वितीय उत्तरवादी को 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दस्तावेज/अभिलेख/लेखा बही मंगाने का पूर्ण अधिकार है, तथा अपीलार्थी/याचिकाकर्ता कार्यवाही में सहयोग करेगा, के आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है, यद्यपि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना संख्या (iv) 'किसी प्रकार का उत्पीड़न न करने' के माध्यम से मांगी गई राहत को निर्णय के पैरा–9 में अवलोकन/निर्देश के माध्यम से ध्यान में रखा गया है (ताकि अस्पताल का सुचारू संचालन किया जा सके)।

2– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता 1951 के अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत एक लोक न्यास है, जैसा कि अनुलग्नक ए/2 के पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14.07.2002 से स्पष्ट है। यह अभिकथित किया गया है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता **"एमजीएम नेत्र संस्थान"** के नाम से एक नेत्र चिकित्सालय का संचालन कर रहा है, जो कि वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था तथा जिसने अपने क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने 200 कर्मचारियों को नियुक्त किया है तथा इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नवीनतम/परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित 5 शल्यक्रिया कक्ष सह समर्पित नेत्र बैंक है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने यह भी व्यक्त किया है, कि उसके संस्थान में चिकित्सक, परा–चिकित्सक, स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ की अच्छी टीम है और यह भी दावा किया है, कि उनका संस्थान विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं उनके जैसे अन्य संस्थानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य करता है। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न नेत्र समस्याओं/रोगों के संबंध में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन करने के अतिरिक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामुदायिक पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के अलग–अलग हिस्सों में अनेक मुफ्त नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने व्यक्त किया है कि उनके द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के तत्वाधान में डीएनबी पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जा रहा है।

3– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का तर्क है कि जनवरी–फ़रवरी 2019 में पांचवें उत्तरवादी/राज्य आर्थिक अपराध शाखा द्वारा पीई क्र–5/19 के रूप में प्रारंभिक जांच दर्ज की गई, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 एवं धन–शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त प्राधिकरण के निर्देशानुसार द्वितीय उत्तरवादी द्वारा 1951 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यास के मामलों के संबंध में बिना ठोस आधार के जांच प्रारंभ की गई। उक्त कार्य लगभग प्रताड़ना के रूप में किया गया है और उक्त कार्य द्वितीय उत्तरवादी द्वारा किसी अन्य के निर्देश पर किया गया है। जबकि द्वितीय उत्तरवादी को पंजीयक के रूप में 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अपीलार्थी/याचिकाकर्ता से विवरण मांगने का अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में उक्त अधिकार का प्रयोग किसी अन्य के कहे अनुसार अथवा निर्देशन में प्रयोग किया गया है, जो कि विशेषकर पांचवें उत्तरवादी की अवैध शक्ति का दुरूपयोग है और निषेधित किये जाने योग्य है। इसलिए इसे निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "i. कि माननीय न्यायालय द्वितीय उत्तरवादी से अपीलार्थी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच से संबंधित संपूर्ण अभिलेख आहूत करने की कृपा करें।
>
> ii. कि माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय उत्तरवादी को निर्देशित करने की कृपा करें कि सर्वप्रथम अपीलार्थी को शिकायत की प्रति उपलब्ध कराई जावे तथा अपीलार्थी को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हुए उसके विरूद्ध की गई शिकायत का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे।
>
> iii. कि माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध उत्तरवादी क्र०–02 से 05 के समक्ष प्रस्तुत की गई तथाकथित शिकायत के आधार पर की जा रही जांच कार्यवाही अपास्त करने की कृपा करें।
>
> iv. कि माननीय न्यायालय द्वारा उत्तरवादीगण को निर्देशित करने की कृपा करें कि याचिकाकर्ता को प्रताडित न किया जावे तथा एमजीएम नेत्र संस्थान के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न न की जावे।
>
> v. कि अपीलार्थीओं को याचिका के व्यय सहित न्यायहित में अन्य कोई उपचार प्रदान करने की कृपा करें, जिसे माननीय न्यायालय उचित एवं आवश्यक समझे।"

4– राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थनाओं का विधि एवं अभिलेख पर लाये गये तथ्यों के विनिर्दिष्ट संदर्भ के माध्यम से विरोध किया गया ।

5– उभय पक्षों को श्रवण करने के पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश अपने निर्णय के पैराग्राफ–7 में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है, कि 1951 के अधिनियम की धारा 22 के द्वारा पंजीयक को लोक न्यास की संपत्ति में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसके अतिरिक्त पंजीयक को न्यास के न्यासियों से उनके आधिपत्य के किसी भी खाता बही को मांगने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त पंजीयक को विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट को मांगने का भी अधिकार है। हालांकि पंजीयक के समक्ष सभी जानकारी प्रस्तुत करने एवं पंजीयक द्वारा सभी जानकारी एकत्रित करने के पश्चात अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को 1951 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विधिनुसार आगे की कार्यवाही की जा सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी आशा व्यक्त की है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता एवं न्यासियों द्वारा सहयोग किया जायेगा, साथ ही पंजीयक द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अस्पताल के सुचारू संचालन का भी उचित ध्यान रखा जाएगा (यह देखते हुए कि उत्तरवादीगण ने स्वयं इस पहलू का ध्यान अनुलग्नक ए/20 दिनांक 01.02.2020 के अनुसार रखा गया है)। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के अनुसार आदेश अत्यंत अपर्याप्त है और इसलिए चुनौती के अधीन है, उनका तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह विधि अनुसार नहीं है तथा इसमें उचित विवेक का अभाव है और उक्त कार्यवाही किसी अन्य के निर्देशन में अथवा कहे अनुसार की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6– घटनाओं का क्रम दर्शाता है कि अनुलग्नक ए/3 दिनांक 19.02.2019 के नोटिस के अनुसार द्वितीय उत्तरवादी ने अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को सूचना दी थी कि न्यास के आय/व्यय के लेखाओं को अब तक जमा नहीं किया गया है, इसलिए पंजीकरण की तारीख से लेकर वर्तमान तक के नवीनतम लेखाओं प्रस्तुत की जाए, अन्यथा न्यास के पंजीकरण को रद्द किया जावेगा। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त नोटिस पूर्व–प्रेरित एवं असंगत है, जैसा कि उसी उत्तरवादी द्वारा उसी दिन जारी किये गये अनुलग्नक ए/4 के एक अन्य नोटिस से स्पष्ट होता है। अनुलग्नक ए/4 के अनुसार द्वितीय उत्तरवादी द्वारा यह पाया गया कि वर्तमान संपरीक्षा रिपोर्ट में न्यासियों की सूची में अंतर है, अतः इस संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाए कि नए न्यासियों की नियुक्ति कब और किस आधार पर की गई तथा यह जानकारी पंजीयक को क्यों नहीं दी गई है। साथ ही उक्त जानकारी प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण रद्द करने की चेतावनी भी जारी की गई है।

7– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने रेखांकित करते हुये व्यक्त किया है कि जब द्वितीय उत्तरवादी ने अनुलग्नक ए/3 के नोटिस में उल्लेखित किया था, कि दिनांक 19.02.2019 तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, तब दिनांक 19.02.2019 के उसी

दिनांक के अनुलग्नक ए/4 के नोटिस में दी गई साक्ष्यों की सूची के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की स्वीकृति एक दूसरे से मेल नहीं खाती है और परस्पर विरोधाभाषी प्रतीत होती है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि उक्त तथ्य लापरवाही तथा किसी अन्य के निर्देशन पर अथवा कहे अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

8– याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक ए/3 दिनांक 19.02.2019 को प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 18.03.2019 को प्रस्तुत किया गया जवाब यह दर्शाता है कि न्यास के पंजीकरण के वर्ष अर्थात वर्ष 2002 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक की संपरीक्षा रिपोर्ट (कुल 17) उक्त पत्र के साथ संलग्न की गयी थी। साथ ही पिछले वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट एवं आय–व्यय का विवरण भी द्वितीय उत्तरवादी को पहले ही प्रेषित किया जा चुका था। पिछले 5 वर्षो की प्राप्ति रसीद भी संलग्न की गयी थी। दिनांक 25.06.2018 को त्यागपत्र देने वाले न्यासी की जानकारी भी उसी दिनांक अर्थात दिनांक 18.03.2019 को प्रस्तुत अनुलग्नक ए/6 के जवाब के साथ दी गई थी। साथ ही पुलिस मुख्यालय आपराधिक अनुसंधान विभाग, रायपुर द्वारा नोटिस अंतर्गत धारा 91 द०प्र०सं० दिनांक 18.03.2019 (अनुलग्नक ए/7) जारी कर अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि दिनांक 09.01.2001 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक के बैंक खातों की जानकारी प्रस्तुत की जावे। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनुलग्नक ए/8 दिनांक 20.03.2019 का जवाब भेजा गया और साथ ही शिकायत के विवरण की जानकारी, जिसके आधार पर अनुलग्नक ए/7 का धारा 91 द०प्र०सं० का नोटिस दिनांक 18.03.2019 जारी किया गया था तथा शिकायत की प्रमाणित प्रति एवं अन्य सभी दस्तावेज भी प्रदान किए जाने की मांग की। द्वितीय उत्तरवादी ने अनुलग्नक ए/9 दिनांक 25.03.2019 के द्वारा अपीलार्थी/याचिकाकर्ता से शिकायत के विभिन्न पहलुओ से संबंधित चाही गई जानकारी तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया। किन्तु अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए/10 का जवाब दिनांक 27.03.2019 प्रस्तुत कर पुनः वही स्थिति दोहराते हुए कहा कि आवश्यक जानकारी/दस्तावेज़ एकत्रित करने में 25–30 दिन और लग सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9– चूँकि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से कोई सकारात्मक जानकारी/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक–18/लोक न्यास/2019 एवं पंचम उत्तरवादी/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एम–297 दिनांक 03.04.2019 का उल्लेख करते हुये अनुलग्नक ए/11 दिनांक 08.04.2019 जारी किया गया, उक्त नोटिस में निम्नलिखित पैराग्राफ के अनुसार मांग की गई:

> "इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि आप 15/04/2019 को कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर अपना जवाब के

साथ मिकी स्मारक न्यास के आय–व्यय के विवरण, अधिग्रहित चल/अचल संपत्ति की जानकारी, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो लोक न्यास अधिनियम की धारा 16(4), 22, एवं 26 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।"

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए/12 दिनांक 12.04.2019 प्रस्तुत कर पूर्व के पत्राचार में उल्लेखित पत्रों की प्रतियाँ एवं जिस शिकायत के आधार पर नोटिस/कार्यवाही जारी की गयी है, उसकी प्रतियों की मांग की। इसके पश्चात्, दिनांक 16.04.2020 को 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अनुलग्नक ए/13 का नोटिस जारी कर उसमें उल्लेखित विवरण करने को कहा गया।

10– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनुलग्नक ए/15 दिनांक 25.04.2019 का जवाब प्रस्तुत कर समुचित जवाब किये जाने हेतु शिकायत/पत्र दिनांक 04.04.2019 एवं 03.04.2019 की प्रमाणित प्रतियों सहित संपूर्ण विवरण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया। जिसके बाद अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए/16 दिनांक 26.04.2019 में यह उल्लेख करते हुये 15 दिवस का समय बढाये जाने का अनुरोध किया कि चूंकि दस्तावेज एवं जानकारी 18 वर्षों की है, अतः अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् अधिवक्ता के माध्यम से विस्तृत जवाब अनुलग्नक ए/17 दिनांक 06.05.2019 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.09.2019 को पंचम उत्तरवादी/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय रायपुर द्वारा चतुर्थ उत्तरवादी/ मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर को निर्देश जारी कर अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा की गयी कथित वित्तीय अनियमितताओं को संदर्भित करते हुये न्यास द्वारा संचालित एमजीएम नेत्र अस्पताल की इमारत के निर्माण एवं आंतरिक साज–सज्जा की विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। साथ ही अन्य विवरण भी मांगे गए और निर्देश दिया गया कि मूल्यांकन रिपोर्ट को प्राथमिकता से तैयार कर शीघ्रता से भेजा जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के अनुसार उपरोक्त कार्यवाहियों के मध्य रायपुर नगरपालिक निगम ने भी अनुलग्नक ए/19 दिनांक 12.09.2019 जारी करते हुए राज्य आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही कार्यवाही का उल्लेख करते हुये अपीलार्थी/याचिकाकर्ता से निर्माण के नाप–जोख में सहयोग करने का अनुरोध किया। द्वितीय उत्तरवादी ने अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को 1951 के अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत दिनांक 17.09.2019 को अनुलग्नक ए/21 जारी कर लोक आयोग, रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2015 में दिनांक 01.12.2017 को दिए गए निर्देशों को संदर्भित करते हुये अपीलार्थी से पंजीयक लोक न्यास रायपुर में पंजीकृत सभी न्यासों के आय–

व्यय से संबंधित खातों की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के अनुसार इससे यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय उत्तरवादी स्वतंत्र मस्तिष्क से कार्य न कर किसी अन्य के कहे अनुरूप कार्य कर रहे थे। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए/22 दिनांक 23.09.2019 का जवाब प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया कि द्वितीय उत्तरवादी ने न्यास के प्रशासन में कथित कुप्रबंधन को संदर्भित करते हुये उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, जो कि मनमानापूर्ण एवं पूर्णतः असत्य एवं निराधार है।

12– जैसा कि कार्यवाही के पैरा–2 में उल्लेखित किया गया है कि द्वितीय उत्तरवादी द्वारा चतुर्थ उत्तरवादी/मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को अनुलग्नक ए/23 दिनांक 25.09.2019 जारी कर संदर्भित किये जाने पर 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आंकलन किया गया। तदनुसार, चतुर्थ उत्तरवादी ने अनुलग्नक ए/24 दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अस्पताल के मरीजों को असुविधा कारित किये बिना निर्माण का मूल्यांकन किया जावे। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग छ०ग० राज्य द्वारा सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्पताल के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष लंबित जांच को संदर्भित करते हुये एक पत्र अनुलग्नक ए/25 दिनांक 30/09/2019 लिखा जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री से प्राप्त प्रस्ताव का उल्लेख करते हुये अस्पताल की संबद्धता को निरस्त करने और अस्पताल को विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त होने वाली सहायता को रोकने के लिए कहा गया था। साथ ही उक्त संबंध में उठाये गये कदम एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को प्रदान करने के लिए कहा गया था। उसी दिन राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन द्वारा तृतीय उत्तरवादी/जिला कलेक्टर को राज्य आर्थिक अपराध की कार्यवाही को संदर्भित करते हुये अपीलार्थी/याचिकाकर्ता न्यास एवं नेत्र चिकित्सालय के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि 1951 के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपीलार्थी/याचिकाकर्ता न्यास एवं एमजीएम कल्याण समिति द्वारा किये गये कार्यों की जांच की जावे। साथ ही साथ जिला कलेक्टर को सचेत करते हुये यह भी निर्देशित किया गया कि आर्थिक अपराध ब्यूरो के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे तथा जांच के दौरान प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से भी शासन को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराया जावे।

13– चल रही जांच के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही अनुलग्नक ए/27 के अनुसार अपीलार्थी/याचिकाकर्ता न्यास एवं एमजीएम कल्याण समिति के विरूद्ध की गयी शिकायत के संबंध में द्वितीय उत्तरवादी द्वारा उप–पुलिस अधीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध रायपुर के समक्ष एक अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 14/10/2019 प्रस्तुत की। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने इसे एवं द्वितीय उत्तरवादी द्वारा किये जा रहे कार्यों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी अन्य के निदेशानुसार एवं कहे अनुसार किया जाना बताया है। परन्तु, इसे आसानी से सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुलग्नक ए/26 दिनांक 30.09.2019 (जिला कलेक्टर को प्रेषित) द्वारा जारी निर्देश से जोड़ा जा सकता है, जिसमें अपीलार्थी/याचिकाकर्ता एवं एमजीएम कल्याण समिति के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध शाखा की कार्यवाही एवं उनके विरूद्ध चल रही जांच की आवश्यकता बतायी गयी थी तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। अनुलग्नक ए/27 की अंतरिम रिपोर्ट में उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता न्यास द्वारा जमा की गयी सूचना में प्रथम दृष्टया दर्शित होती है(जिन्हें निर्धारित अवधि एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया था)।

14– दिनांक 01.02.2020 को द्वितीय उत्तरवादी ने चतुर्थ उत्तरवादी/मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर को अनुलग्नक ए/28 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता न्यास द्वारा संचालित एमजीएम अस्पताल में प्रवेश करें और इमारत का निरीक्षण कर नेत्र चिकित्सालय की वास्तविक सामग्रियों/वस्तुओं/संपत्तिओं के संबंध में नवीन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें मुख्य अभियंता की राय भी सम्मिलित हो। उक्त सूचना प्राप्त होने पर चतुर्थ उत्तरवादी द्वारा अस्पताल के निरीक्षण हेतु अनुलग्नक ए/29 दिनांक 03.02.2020 के माध्यम से एक विशेष दल का गठन किया गया और उक्त दल को सचेत किया गया कि निरीक्षण/मूल्यांकन का स्थान एक अस्पताल है, इस कारण वहां पर मरीज हो सकते हैं, अतः इस बात का ध्यान रखा जावे कि संपूर्ण निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान किसी भी मरीज को कोई असुविधा कारित न की जावे तथा न्यास की धार्मिक परंपराओं एवं संस्कारों का उचित सम्मान रखा जावे। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से 1951 के अधिनियम की धारा 22 के परन्तुक के अनुरूप है, जिसे माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा भी अपने निर्णय के पैरा–9 में संरक्षित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यादृष्टांत अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जडेगा व अन्य विरूद्ध गुजरात राज्य (1995) 5 एससीसी 302 (पैरा–11), पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विरूद्ध जोरा सिंह व अन्य (2005) 6 एससीसी 776 (पैरा–40), पंजाब राज्य व अन्य विरूद्ध गुरूदयाल सिंह व अन्य (1980) 2 एससीसी 471 (पैरा–9) एवं उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध महाराजा धर्मेन्दर प्रसाद सिंह व अन्य (1989) 2 एससीसी 505 (पैरा–55) पर विश्वास करते हुये व्यक्त किया है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि पंजीयक के पास 1951 के अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण और अभिलेख मंगाने की शक्ति नहीं है, बल्कि उनका मामला यह है, कि उक्त शक्ति का प्रयोग मस्तिष्क के स्वतंत्र प्रयोग एवं किसी के अनुरोध या दबाव में आये बिना किया

जाना आवश्यक है, जो कि रोक लगाये जाने योग्य है, किन्तु विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त रोक न लगाकर त्रुटि कारित की गयी है।

16– विद्वान महाधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि रिट याचिका में गुणदोष अथवा सद्भाविकता का अभाव है तथा याचिका समयपूर्व है। अपीलाकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस स्तर पर जांच को निरस्त किये जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। इस बिंदु पर ध्यान दिया जाना आवश्यक कि 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत पंजीयक को पूर्ण शक्ति प्रदान की गयी है, जिसे अपीलार्थी/याचिकाकर्ता भी स्वीकार करते है और उक्त शक्ति का प्रयोग खण्ड (क) से (ग) में उल्लेखित विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकता है, जबकि परन्तुक में उल्लेखित आवश्यकताओं का पालन किया गया हो, जिसे कि उत्तरवादीगण द्वारा रिट याचिका में प्रस्तुत अनुलग्नक पी/20 दिनांक 01.02.2020 (रिट अपील में प्रस्तुत अनुलग्नक ए/28 तथा रिट अपील में प्रस्तुत अनुलग्नक ए/29 दिनांक 03.02.2020) में उल्लेखित किया गया है तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी अपने निर्णय के पैरा–9 में उल्लेखित किया है।

17– विद्वान महाधिवक्ता द्वारा इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत पंजीयक को स्वप्रेरणा से अथवा किसी सूचना की प्राप्ति पर भी संपूर्ण अभिलेखों/सामग्रियों/खातों को आहूत किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है। धारा 22 (क), (ख) एवं (ग) की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं है तथा राज्य आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की किसी जांच अथवा कार्यवाही की भी आवश्यकता नहीं है। नोटिस जारी किया जाना केवल सूचना प्राप्त होना दर्शाता है तथा पंजीयक के पास यह विकल्प हमेशा खुला है कि वह ऐसी सूचना के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय ले सकता है। विद्वान महाधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है कि अनुलग्नक ए/4 दिनांक 19.02.2019 के माध्यम से द्वितीय उत्तरवादी ने नवीन न्यासियों को सम्मिलित करने की दिनांक एवं अन्य जानकारियां मांगी गयी है, जिसका किसी शिकायत से कोई संबंध नहीं है और ऐसा किया जाना 1951 के अधिनियम की धारा 22 की परिधि में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18– इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के विरूद्ध दो प्रकार से कार्यवाहियां की गयी है, जिसमें पहली कार्यवाही द्वितीय उत्तरवादी द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रारंभ की गयी है तथा दूसरी कार्यवाही राज्य के राज्य आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा विभिन्न अनियमितताओं/अपराधों के संबंध में की गयी है और धारा 91 द०प्र०सं० के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने उक्त दोनों कार्यवाहियों को मिश्रित करने का प्रयास किया गया है और उसे ऐसा स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, जैसे कि द्वितीय उत्तरवादी द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही, राज्य आर्थिक अपराध शाखा के अथवा अन्य किसी व्यक्ति के निर्देशानुसार

अथवा कहे अनुसार की जा रही हो। उक्त दोनों कार्यवाहियां पूर्णतः भिन्न है और किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, हालांकि दोनों प्राधिकारी एक दूसरे से सुसंगत जानकारी, यदि कोई हो, को मांगे जाने के लिये स्वतंत्र है, ताकि उस पर विचार कर आवश्यक कदम उठाये जा सकें। विद्वान महाधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है, कि द्वितीय उत्तरवादी द्वारा अनुलग्नक ए/3 दिनांक 19.02.2019 के माध्यम से सूचित किया है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने न्यास को वर्ष 2002 में पंजीकृत कराये जाने के पश्चात् से आज दिनांक तक आय–व्यय के ब्यौरे जमा नहीं किए है, अनुलग्नक ए/4 दिनांक 19.02.2019 केवल वर्तमान वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसके आधार पर अनुलग्नक ए/3 एवं अनुलग्नक ए/4 के मध्य कोई विरोधाभाष एवं असंगता दर्शित नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के साथ प्रस्तुत जवाब अनुलग्नक ए/5 दिनांक 18.03.2019 (जहां उनके द्वारा दावा किया गया है, कि दस्तावेज पूर्व में ही जमा किए जा चुके है जबकि उनके द्वारा पांच वर्षो के संपरीक्षा दस्तावेज की सूची संलग्न की गई है) में दिनांक 11.02.2019 को जमा की गई संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2017–18, दिनांक 28.09.2018 को जमा की गई संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2016–17 एवं दिनांक 28.02.2016 को एक साथ जमा की गई संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 का उल्लेख किया गया है। यह स्वयं ही यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि, उक्त रिपोर्टे विधिनुसार प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत नहीं की जा रही थी और यह अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की लापरवाही को दर्शित करता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने द्वितीय उत्तरवादी को नोटिस अनुलग्नक ए/6 दिनांक 18.03.2019 के माध्यम से दिनांक 25.06.2018 को दो न्यासी सम्मिलित किये जाने के बारे में अत्यंत विलंब से दिनांक 22.03.2019 को बताया गया। दिनांक 24.07.2018 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यवाही का विवरण अनुलग्नक ए/6 के माध्यम से अत्यंत विलंब से प्रस्तुत किया गया। उप पुलिस अधीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध शाखा, रायपुर द्वारा अनुलग्नक ए/7 के माध्यम से दिनांक 18.03.2019 को जारी धारा 91 द०प्र०सं० एक पृथक कार्यवाही है, जिसे अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा उसी विवाद्य विषय का भाग समझा गया है। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि द्वितीय उत्तरवादी द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस के संबंध में अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा आज तक कोई उचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित अस्पष्ट जवाब द्वितीय उत्तरवादी को यह निर्देशित करते हुये भेजा गया है कि यदि शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जायेगा। यदि विशेष दल के सदस्यों की जानकारी नहीं दी जाती है तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जायेगा तथा यदि जांच से संबंधित विवरण एवं आदेश किसके द्वारा पारित किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, तो याचिकाकर्ता द्वारा जवाब

प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। अनुलग्नक ए/8 के अवलोकन से यह दर्शित होता है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने अपने संवैधानिक अधिकार एवं प्राकृतिक न्याय के अधिकार का संदर्भ देते हुये धमकी दी है, कि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जो कि वस्तुतः इस प्रकार का है, कि याचिकाकर्ता द्वारा पंजीयक को शर्ते बताई जा रही है, जिसने 1951 के अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप विवरण मांगे है। इसी प्रकार पंजीयक ने दिनांक 23.05.2019 को जारी अनुलग्नक ए/9 के माध्यम से दान आदि, यदि कोई हो, सहित विवरण मांगे है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का यह वैधानिक कर्तव्य है, कि वह उक्त विवरण प्रस्तुत करे और पंजीयक द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने एवं स्वप्रेरणा से अथवा किसी सूचना के आधार पर अभिलेख मंगाने को किसी अन्य के निर्देशानुसार किया जाना बताये जाने की न तो आवश्यकता है और न ही कोई अवसर है। विद्वान महाधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि इसके विपरीत अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की सोच एवं समझ पूर्णतः गलत और भ्रामक है।

20– अनुलग्नक ए/9 को संदर्भित करते हुये इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, कि जवाब की भाषा एवं शैली दर्शाती है, कि उसे द्वितीय उत्तरवादी के प्राधिकार को प्रश्नगत किया है तथा यह घोषित किया जा रहा है, कि जब तक द्वितीय उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक जवाब प्रस्तुत किया जाना असंभव है, जो कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा विधि के शासन के प्रति उसके अहंकार एवं सम्मान की कमी को दर्शाता है। विद्वान महाधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है, कि द्वितीय उत्तरवादी/पंजीयक को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपीलार्थी/याचिकाकर्ता–न्यास से विवरण/जानकारी को आहूत किये जाने के तथ्य एवं उद्देश्य को प्रकट करे, और विधि के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत लोक न्यास का यह कर्तव्य है, कि वह अपने सभी संव्यवहारों से संबधित खातो को संधारित करे और विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मांगे जाने पर कठोरता से सभी विवरण प्रस्तुत करे।

21– अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक ए/16 दिनांक 26.04.2019 के माध्यम से समय बढाये जाने की मांग इस आधार पर किया जाना कि चूंकि दस्तावेज 18 वर्षो से संबंधित है, इस कारण जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु और समय लगना संभव है, का तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने मांगे गये विवरण एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। साथ ही राज्य के लोक आयोग द्वारा राज्य के अंतर्गत पंजीकृत सभी लोक न्यास से संबंधित अभिलेखों को संधारित करने के पंजीयक के कर्तव्य के संबंध में जारी चेतावनी को संदर्भित करते हुये द्वितीय उत्तरवादी–पंजीयक द्वारा पत्र किये जाने पर उल्लेख किया है। इस कारण से भी अपीलार्थी/याचिकाकर्ता से उक्त संबंध में जानकारी आहूत किया जाना आवश्यक था, जिसे प्रस्तुत करने में अपीलार्थी/याचिकाकर्ता असफल रहे है। मुख्य अभियंता की कार्यवाही दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27.09.2019 को संदर्भित करते हुये इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है, कि दो अलग–अलग प्राधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग (दो अलग–अलग कार्यवाही के संदर्भ में) विभाग के अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की संपत्तियों/इमारतों का निरीक्षण करने के लिये कहा गया था, अतः एक ही दस्तावेज में दो अलग–अलग प्राधिकारियों/स्त्रोतों का उल्लेख किया जाना किसी प्रकार से गलत नहीं है।

22– इसके साथ ही, 1951 के अधिनियम की धारा 22 के परन्तुक को प्रभावी करते हुये ही निरीक्षण किया जाना था, जिसे चतुर्थ उत्तरवादी द्वारा जारी कार्यवाहियों में ध्यान रखा गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय के पैरा–9 में उक्त तथ्य का उचित रूप से संज्ञान लिया है, जिसके आधार पर यह दर्शित होता है, कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के पास कोई उचित शिकायत नही है। धारा 7 – पंजी में प्रविष्टी करने का पंजीयक का कर्तव्य, धारा 9 – कार्यकारी न्यासी द्वारा पंजी में परिवर्तन करने एवं वांछित किसी भी परिवर्तन की सूचना पंजीयक को दिये जाने का कर्तव्य, धारा 10 – न्यासी का जिले मे स्थित न्यास की संपत्तियों की जानकारी पंजीयक को प्रदान करने का कर्तव्य, धारा 15 – लोक न्यास के कार्यकारी न्यासी या प्रबंधक का न्यास की सभी चल एवं अचल संपत्तियों के लेखे रखने का कर्तव्य, धारा 16 – लोक न्यास के न्यासी का धारा 15 के अधीन रखे गये लेखाओं का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या किसी ऐसे अन्य दिनों, जिसे पंजीयक नियत करे, मिलान करने का कर्तव्य, धारा 19 – पंजीयक का लोक न्यास का बजट, तुलन–पत्र और आय एवं व्यय की विवरणी और संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, को ऐसे न्यास में हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा पंजीयक के कार्यालय में ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जैसा विहित किया जावे, निरीक्षण के लिये खुला रखने का कर्तव्य, धारा 20 – पंजीयक का धारा 19 में उल्लेखित सभी या किन्हीं दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां लोक न्यास मे हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क के भुगतान पर अनुदत्त करने का कर्तव्य,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23– 1951 के अधिनियम की धारा 22 में निम्नानुसार लेख है कि:

> “**22. पंजीयक की शक्तियाँ.–** पंजीयक को–
>
> (क) लोक न्यास की किसी सम्पत्ति में प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने या प्रवेश कराने या निरीक्षण कराने,
>
> (ख) लोक न्यास के न्यासी की किसी कार्यवाही के किसी उद्धरण को या न्यासी के कब्जे की या नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक या लेखा को मंगाने या निरीक्षण करने,
>
> (ग) किसी न्यासी या लोक न्यास से संबंधित किसी व्यक्ति से ऐसी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट जिसे वह उपयुक्त समझे मंगाने की, शक्तियां रहेगी:

परन्तु यह कि लोक न्यास की किसी सम्पत्ति में प्रवेश करने के मामले में, प्रवेश करने वाला अधिकारी न्यासी को युक्तियुक्त सूचना देगा और न्यास के धार्मिक व्यवहारों और प्रथओं को सम्यक् ध्यान रखेगा ।

1951 अधिनियम की धारा 19 और 20 के अंतर्गत वैधानिक बाध्यता को देखते हुये 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा मांगे गए लेखे/दस्तावेज/जानकारी उसके समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है, इसलिए की गई कार्यवाही 1951 के अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अनुरूप है।

24– दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय पाता है कि द्वितीय उत्तरवादी–पंजीयक द्वारा विवरण मांगे जाने की कार्यवाही करना और 1951 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की कमियों की ओर इंगित करना पूर्णतः उनके अधिकार क्षेत्र एवं विशेषाधिकार के अंतर्गत है। पंजीयक को स्वप्रेरणा से अथवा प्राप्त सूचना या शिकायत के आधार पर किसी लोक न्यास द्वारा किये जा रहे कार्यों या त्रुटिपूर्ण कार्यों के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीय उत्तरवादी के विरूद्ध लगाए गए प्रकथन और आरोप बिना किसी सार या तथ्य के हैं। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता इस प्रकार एक भी उदाहरण प्रकट करने में पूर्णतः असफल रहे है जिसमें द्वितीय उत्तरवादी की दुर्भावना, शक्ति की कमी अथवा अत्यधिक हस्तक्षेप को दर्शाया जा सके, जिससे कि इसे शक्ति का दुरूपयोग माना जा सके। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित न्यायदृष्टांत हस्तगत परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने चाही गई आवश्यक सामग्री प्रस्तुत नहीं की है और न ही द्वितीय उत्तरवादी द्वारा जारी नोटिस का कोई संतोषजनक उत्तर दिया है, इसलिए द्वितीय उत्तरवादी को विधिनुसार कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत मामला इस स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने हेतु उपयुक्त मामला नहीं है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका समयपूर्व है। अतः रिट याचिका असफल होने के कारण खारिज की जाती है।

(सही/-)	**(सही/-)**
(पी. आर. रामचंद्र मेनन)	**(पार्थ प्रतीम साहू)**
मुख्य न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur